कार्यालय प्राचार्य, इंदिरा गाँधी इंजीनियरिंग महाविद्यालय, सागर (म0प्र0)

(म.प्र. शासन द्वारा स्वशासी घोषित)

क्र0 /इम./छा.वृ./2020–21/ / सागर, दिनांक :– 18/11/2020

नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल संबंधी सूचना

संस्था में बी.ई. प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष 2020–21 में अध्ययनरत समस्त छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है कि ऐसे विद्यार्थी जो नेशनल स्कालरशिप पोर्टल (NSP) के तहत आने वाली **सेंट्रल सेक्टर, प्रगति एवं सक्षम/** ***मेरिट कम मीन्स/अल्पसंख्यक*** (मुस्लिम, ईसाई, बौद्व, सिख, जैन एवं पारसी) आदि छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए आवेदन करना चाहते हैं, ऐसे पात्र विद्यार्थी ऑनलाईन **NSP-National Scholarship Portal** (https://scholarships.gov.in) पर आवेदन भरकर हार्डकॉपी में समस्त आवश्यक दस्तावेजों सहित यथाशीघ्र अनिवार्य रूप से संस्था के छात्रवृत्ति विभाग में प्रस्तुत करें। जिससे छात्रवृत्ति के प्रस्ताव पोर्टल पर समय पर अग्रेषित किये जा सके। विलंब से जमा किये जाने वाले आवेदन के लिये विद्यार्थी स्वयं जिम्मेदार रहेंगे :–

छात्रवृत्ति फार्म के साथ निम्नलिखित दस्तावेज निम्न क्रम में संलग्न करें :–

1. पिता के नाम से डिजीटल आय प्रमाण पत्र, की छाया प्रति।
2. पिता/माता (एक अथवा दोनों की) शासकीय सेवक होने की स्थिति में नियोजक द्वारा प्रदाय किया हुआ फार्म 16 की अनिवार्य रूप से छायाप्रति जमा करें।
3. पिता के नाम से आय का आय का शपथ प्रमाण पत्र की **मूल प्रति।**
4. विद्यार्थी के नाम बैंक पास बुक की छाया प्रति आई.एफ.एस.सी कोड सहित।
5. आधार कार्ड की छाया प्रति।
6. समग्र आई डी की छाया प्रति।
7. EKYC, आधार कार्ड नं. को खाते से लिंक कराना अनिवार्य हैं।
8. **विद्यार्थियों के लिए,** छात्रावासी प्रमाण पत्र की **मूल प्रति।**
9. डिजीटल स्थायी जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति।
10. मध्यप्रदेश का डिजीटल मूल निवासी प्रमाण पत्र की छाया प्रति।
11. फीस रसीद की छाया प्रति।
12. एडमीशन रसीद की छाया प्रति।
13. नवीन आवेदित छात्र/छात्रायें दसवी एवं बारहवी की अंकसूची की छाया प्रति।
14. लेटरल ऐन्ट्री के छात्र/छात्रायें डिप्लोमा एवं दसवी की अंकसूची की छाया प्रति।
15. नवीनीकरण के छात्र/छात्रायें सभी सेमे. की अंकसूची की छाया प्रति।
16. **छात्र/छात्रा का कक्षा में 75 प्रतिशत** उपस्थिति का प्रमाण–पत्र।
17. समस्त विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए अपना आधार कार्ड अपने बैंक खाता से लिंक कराने अनिवार्य हैं।
18. छात्रावासी/छात्रावास विहिन प्रमाण–पत्र प्रारूप –2/3 अनिवार्य हैं।
19. **सक्षम योजना के तहत आवेदन करने वाले विद्यार्थी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विकलांग प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।**

कार्यालय प्राचार्य, इंदिरा गाँधी इंजीनियरिंग महाविद्यालय, सागर (म0प्र0)

(म.प्र. शासन द्वारा स्वशासी घोषित)

नोट :–

1. यदि संबंधित छात्र/छात्रा द्वारा उपरोक्त वार्णित दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज त्रुटिपूर्ण अथवा अप्राप्त रहता है तो प्रथम दृष्टया उनका छात्रवृत्ति हेतु आवेदन ऑन लाइन प्रकिया में निरस्त कर दिया जायेगा। जिसके लिये छात्र/छात्रायें पूर्णतः स्वयं जिम्मेदार होंगे। छात्र/छात्राएँ अपना मोबाईल नं. एवं ई–मेल आईडी आवयश्य लिखे ताकि छात्रवृत्ति फार्म में कोई कमी या त्रुटि होने पर आपको सूचित किया जा सके।
2. समस्त विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि पात्र योजनाओं का लाभ लेने वाले विद्यार्थी यदि किसी भी प्रकार की कोई भी गलत जानकारी देते पाये जाने पर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक/वैधानिक कार्यवाही की जायेगी समस्त जबावदारी स्वयं की होगी।
3. किसी भी छात्र को एक पाठक्रम के लिए कोई एक छात्रवृत्ति दी जा सकती है । अतः ऐसे छात्र जो पूर्व में किसी अन्य छात्रृत्ति का लाभ ले रहे है उन्हें इस छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी।

प्राचार्य,
इंदिरा गाँधी इंजीनियरिंग महाविद्यालय
सागर (म0प्र0)

पृ. क्र0 /इम./छा.वृ./2020–21/3951/ सागर, दिनांक– –/11/2020

प्रतिलिपि– निम्नांकित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. समस्त विभागाध्यक्ष इंदिरा गाँधी इंजीनियरिंग महाविद्यालय सागर की ओर विद्यार्थियों को सूचित करने बावत्।
2. वेबसाइट प्रभारी की ओर अपलोड करने हेतु।
3. नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

प्राचार्य
इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग महाविद्यालय
सागर (म0प्र0)